न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 39 / 2022

1 जयप्रकाश
2 युधिष्ठर पुत्रगण स्व. दिलसुख
जाति ब्राह्मण निवासी घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 चन्द्री देवी पुत्री स्व. दिलसुख पत्नी जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मानासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 मीरा देवी पुत्री स्व. दिलसुख पत्नी बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी मंगलदास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 गोरधन पुत्र स्व. दुर्गादत्त जाति ब्राह्मण निवासी घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 गोपाल
3 सीताराम पुत्रगण स्व. नारायणा
जाति ब्राह्मण निवासी घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा बठोठ जरिये मैनेजर
5 पटवारी हल्का मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 पटवारी हल्का बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 गिरदावर हल्का जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भू–धारक राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्टस

विविध अपील विरूद्ध आदेश दिनांकित 31.05.2022
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) लक्ष्मणगढ़
जिला सीकर प्रकरण बउनवानी गोरधन बनाम युधिष्टर
आदि मु.नं. 101 / 2011 (07 / 2013 नया)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहन लाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 07/2013 (101/2011) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 135/2, 130, 136, 137/2 राजस्व ग्राम सिगडोला बड़ा व खसरा नम्बर 111 वाके ग्राम घाणा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध व तथ्य विरूद्ध होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने में निहित क्षेत्राधिकार का सम्यक व विधिपूर्ण प्रयोग नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा गुणवत्ता विहिन तथा प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने के कारण निरस्त होने के बावजूद प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को बिना किसी औचित्य व आधार के स्वीकार कर लिया गया। विचाराधीन आदेश सुस्थापित विधिक सिद्धान्तों के विपरित होने से माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला का विवेचन व निर्धारण कुल चार पंक्तियों में यंत्रवत रूप मे कर दिया गया। विचाराधीन आदेश मनमानीपूर्ण होने के साथ—साथ न्यायिक रूप से समाधानयुक्त नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। विधि का यह सर्वे मान्य सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेख भूमि अधिकारों से संबंधित निसेंदह एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, जिसके इन्द्राजात को प्रथम दृष्टया नजर अंदाज कर टी.आई प्रकरण में प्रतिकुल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। विचाराधीन आदेश में उक्त विधिक सिद्धान्त की भी अनदेखी विचारण न्यायालय द्वारा की गई। इस कारण भी विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। प्रथम दृष्टया मामला के विवेचन की प्रथम पंक्ति में अकारण बिना किसी आधार के अंकित कर दिया गया कि 'प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजीयात प्रार्थी की पैत्रिक आराजीयात प्रतीत होती है।' विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही था। दुसरी पंक्ति में ही अपने इस अंकन के विपरित विचारण न्यायालय द्वाा यह मान लिया गया कि राजस्व अभिलेख में अंकेले प्रार्थी के भाई (अपीलार्थीगण के पूर्वज दिलसुख) के नाम खातेदारी अंकित है। उक्त खातेदारी रा.का.अधि. प्रभावशील होने के समय से अपीलार्थी के पिता दिलसुख के नाम अंकित चली आ रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अकारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मान्य कर भारी अनियमितता कारित की गई है। विचारण न्यायालय ने सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में बिना किसी विवेचना के निर्णय कर दिया गया। उक्त स्थिति राजस्व न्याय की बिगडी हुई स्थिति का संजीव चित्रण है कि बिना किसी विवेचना के प्रथम दृष्टया मामला को प्रार्थी के पक्ष में मान्य कर लिया गया और अकारण विवादित आराजीयात को प्रार्थी की पैत्रिक आराजीयात मान्य का सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में मान लिया गया और बिना किसी विवेचना के अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की मान्य कर ली गई, जबकि इस निषेधाज्ञा आदेश के कारण से अपीलार्थीगण अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहे है। विचाराधीन आदेश के कारण विरासत का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत नहीं होकर अपीलार्थीगण को दौराने दावा भारी असिमित क्षति होगी तथा वे अपनी भूमि का लाभकरी उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में भी विचाराधन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा इस न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 135/2, 130, 136, 137/2 राजस्व ग्राम सिगडोला बड़ा व खसरा नम्बर 111 वाके ग्राम घाणा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजियात प्रार्थी की पैतृक आराजियात प्रतीत होती है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रार्थी के भाई के नाम से खातेदारी अंकित है। जिस कारण प्रकरण से संबंधित मूलवाद के निर्णयन से पूर्व विवादित आराजियात पर से स्थगन हटाये जाने से प्रार्थी के हित प्रभावित होने की संभावना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद स्थगन जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2013(4) राज पेज 2994, आरआरटी 2018(2) पेज 1140 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 135/2, 130, 136, 137/2 राजस्व ग्राम सिगडोला बड़ा व खसरा नम्बर 111 वाके ग्राम घाणा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजियात प्रार्थी की पैतृक आराजियात प्रतीत होती है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रार्थी के भाई के नाम से खातेदारी अंकित है। जिस कारण प्रकरण से संबंधित मूलवाद के निर्णयन से पूर्व विवादित आराजियात पर से स्थगन हटाये जाने से प्रार्थी के हित प्रभावित होने की संभावना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय से ताफैसला वाद स्थगन जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

यहां यह अवश्य विचारणीय है कि विवादित भूमि के संदर्भ में पक्षकारों को विरासत के नामान्तकरण के संदर्भ में स्थगन से छुट प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय में विरासत का नामांतकरण दर्ज करने की हद तक स्थगन से छुट प्रदान की जाती है। शेष स्थगन ताफैसला वाद यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार म)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर